न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी क.............../18

निगरानी-3821/2018/सतना/भू.रा.

श्री आई.एच. खान
द्वारा आज दि. 23-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 27-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

01. सहबुद्दीन तनय आलादीन

02. मुस्ताक अहमद तनय श्री मो. सिराज

03. संतोष कुमार तनय श्री बनबारीलाल

04. राकेश चौरसिया तनय श्री शिव प्रसाद चौरसिया

सभी निवासी गल्ला मण्डी रोड़ सतना तहसील. रघुराजनगर जिला

सतना म.प्र...निगराकारगण

बनाम

01.संजीव कुमार शुक्ला तनय नर्वदा प्रसाद शुक्ला निवासी धवारी तह.

रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

02. शासन म.प्र...गैरनिगराकारगण

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 425
पृष्ठ क्र. 1 से 16
दिनांक 23-6-18
हस्ताक्षर व नाम

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.1959 बिरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तह. रघुराजनगर जिला सतना के रा.प्र.क. –106अ12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकारगण निम्न लिखित आधार पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बिनेयी है:–

संक्षिप्त तथ्य

गैरनिगराकार क.–1 द्वारा योग्य राजस्व निरीक्षक सतना के समक्ष आ.नं. 176/1/1 रकवा 0.224हे. का सीमांकन किये जाने सें संबंधित

//2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3821/2018/सतना/भू.रा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक रघुराजनगर के प्रकरण क्र. 106/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	